संख्या-59/2019/983/19-27-सिं-9-30एसएवी/11

प्रेषक,

मुश्ताक अहमद
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 23 अप्रैल, 2019**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-2020 में मध्य गंगा नहर परियोजना-द्वितीय चरण पुनरीक्षित परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) के पत्र संख्या-08/परियोजना/कैम्प/ बजट, दिनांक 09.04.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत मध्य गंगा नहर परियोजना-द्वितीय चरण हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1355.3852 करोड़ में से धनराशि रू0 339.00 करोड़ (रूपये तीन अरब उन्तालिस करोड़ मात्र) परियोजना के कार्यों पर व्यय वहन हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) प्रायोजना प्रस्ताव में भूमि अध्याप्ति हेतु लागत का प्राविधान किया गया है। अतः प्रशासकीय विभाग द्वारा भूमि का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाय।

(3) प्रायोजना को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाय ताकि पुनः कास्ट ओवर रन एवं टाइम ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(4) परियोजना की महत्ता एवं विशालता के दृष्टिगत इसके गुणवत्ता नियंत्रण एवं समयबद्धता को सुनिश्चित किए जाने हेतु विभाग के स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाय। यह समिति प्रश्नगत प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यों की प्रगति का सतत अनुश्रवण करे ताकि प्रायोजना का कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण हो जाए।

(5) प्रायोजना में कराये गये कार्य की लागत को यथावत सम्मिलित करते हुए प्रायोजना की लागत का आंकलन किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

(6) प्रायोजना के मुख्य नहर के कि0मी0 0.000 से कि0मी0 44.15 तक की लम्बाई हस्तिनापुर वन्य जीव विहार से गुजरती है, जिस पर मा0 उच्चतम न्यायालय की सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी नई दिल्ली की संस्तुति के आधार पर निर्माण की अनुमति माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा आई0ए0 नम्बर-1722 में सशर्त दी गयी है। अतः मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन विभाग सुनिश्चित करेंगें।

(7) प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

--2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) प्रभाग द्वारा प्रायोजना की लागत का आकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रभाग का मत है कि प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाए।

(9) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढाना, एवं अन्य उच्च विशिष्टिया, इस्तेमाल करना इत्यादि, ब्यय बित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक बृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर प्रशासकीय विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

(10) प्रायेाजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लिकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है ।

(11) प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तर्गत ही निर्गत की जाएगी ।

(12) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा ।

(13) स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्य पर ही किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई/संबंधित अधिकारियों का होगा ।

(14) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए व्यय करने से पूर्व कार्य के विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए ।

(15) निर्माण कार्यों का व्यय करने के पूर्व आगणनों /पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा तथा अवमुक्त धनराशि का व्यय संबंधित परियोजना की अनुमोदित लागत तक ही सीमित रखा जाएगा, अनुमोदित लागत के ऊपर धनराशि का व्यय करने से पूर्व शासन की अनुमति अनिवार्यत: प्राप्त की जाएगी ।

(16) बी0एम0 प्रपत्र-8 पर नियमित रूप से व्यय विवरण की सूचना शासन में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 व सिंचाई अनुभाग-9 को प्रतिमाह उपलब्ध कराई जाये ।

--3

--3--

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(17) उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्रधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाए । इसलिए नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष के स्तर पर भी वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये और यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े, तो उसे तत्काल शासन/वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाये ।

(18) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जाये ।

(19) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जाएगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए/डिपाजिट खाते में न रखी जाय ।

(20) कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी तथा कार्य की फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा समय से कार्य पूरा कराया जाएगा ।

(21) मध्य गंगा नहर परियोजना-द्वितीय चरण हेतु इन्वेस्टमेन्ट क्लीयरेन्स विषयक योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-2(438)/2012-डब्ल्यू आर, दिनांक 21.06.2013 में अंकित शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

(22) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता, मध्य गंगा नहर परियोजना प्रत्येक माह व्यय किए जाने वाली धनराशि का बार चार्ट शासन को उपलब्ध कराएंगे।

(23) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय शासनादेश में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाएगा ।

(24) विभाग द्वारा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-**1/2019/**बी-**1-170/**दस-**2019-231/2019,** दिनांक 22**.03.2019** में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(25) विभाग भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार कार्यवाही करेंगे।

(26) विभाग नाबार्ड की शर्तों एवं योजना की गाइड लाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूंजीलेखा लेखाशीर्षक -4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय -22- मध्य गंगा नहर परियोजना-द्वितीय चरण (वाणिज्यिक)-051-निर्माण- 01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नहरों के सम्बद्ध कार्य (एल0टी0आई0एफ0 पोषित)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा ।

3- यह आदेश वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-8-1061/दस-2019, दिनांक 23 अप्रैल, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं ।

भवदीय

मुश्ताक अहमद

विशेष सचिव।

--4

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-59/2019/983(1)/18-27-सिं-9-30एसएवी/11 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
(2) महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ ।
(4) प्रमुख अभियन्ता(परियोजना), सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
(5) मुख्य अभियन्ता (मध्य गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, अलीगढ़।
(6) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
(7) मुख्य अभियन्ता(बजट), सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
(9) गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
राम नारायण त्रिपाठी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।